सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 18, मंगलवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 10, 2023 *Asvina 18, Tuesday , Saka 1945- October 10, 2023*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2023

संख्या डी–163 एफ. 8(2)(28)निर्वा/2023:– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2023/एसडीआर/खंड-I दिनांकः 10 अक्तूबर,, 2023

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में, सरकार के परामर्श से इस मामले पर समुचित विचार करके निर्वाचन आयोग निम्नलिखित अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को, एतद्वारा ऐसे व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करता है जो दिनांक 30.10.2023 को अधिसूचित होने वाले राजस्थान विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में मतदान के दिन ड्यूटी पर होने के कारण अपने संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित होने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए ये विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना का.आ. सं. 3786 (ङ) दिनांक 22 अक्तूबर, 2019, और इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निदेशों एवं दिशा-निर्देशों के जरिए यथा-संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग III(क) के उपबंधों के अनुसार उक्त साधारण निर्वाचन में डाक-मतपत्र के द्वारा मतदान करने वाली श्रेणी के व्यक्ति होंगे :

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (शहर के भीतर स्थानीय रुट बस सेवाओं को छोड़कर चालक, परिचालक),
2. चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग (डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ और एम्बुलेंस सेवा)
3. चिकित्सा शिक्षा विभाग (डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ और एम्बुलेंस सेवा)

4. अग्निशमन सेवायें
5. जयपुर मेट्रो
6. ऊर्जा विभाग एवं उनके अधीन निगम (इलेक्ट्रीशियन, लाईन मैन)
7. जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी एवं सिंचाई सेवा (पम्प ऑपरेटर, टर्नर)
8. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी
9. राजस्थान राज्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समितियां (दूध आपूर्ति सेवा में लगे कार्मिक)

आदेश से,

एस.बी.जोशी,
प्रधान सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।